## // निर्णय //

**(आज दिनांक 03.11.2022 को घोषित)**

1. अभियुक्त को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उन्हें आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2– दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः अभियुक्त को संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये **अभियुक्त पवन पिता काचरूलाल मर्सकोले,** जाति गोंड, उम्र 33वर्ष नि0 वार्ड नं. 03 तिरोडी, थाना तिरोडी, जिला बालाघाट म0प्र0 जिला बालाघाट (म0प्र0) को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास एवं राशि 1000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 01 माह का साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

3– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 01 प्लास्टिक जरीकेन में हाथ भट्टी मदिरा जिसकी मात्रा 06 लीटर मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

03/11/22

(सुधा पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी
जिला बालाघाट